भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2266

जिसका उत्तर 12.02.2026 को दिया जाना है

भारी वाणिज्यिक वाहन के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपकरण

2266. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजमार्ग दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए किन्हीं सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या किसी केन्द्रीय वित्तपोषित योजना का उद्देश्य देश में कुशल चालकों की कमी को दूर करना है और क्या चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं; और

(ग) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कार्यान्वित की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पहलों का ब्यौरा क्या है और दुर्घटना के बाद की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान कौन-कौन से लाभ प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने मध्यम और भारी-ड्यूटी वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. ब्रेक निष्पादन के मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए - संशोधित ब्रेकिंग मानक (आईएस 11852 2019) को [साकानि 834(अ), दिनांक 11 नवंबर, 2025 के माध्यम से] 01 अक्टूबर, 2027 से ट्रकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले, उक्त मानक केवल मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा निर्मित बसों पर लागू था।

ii. 01 अक्टूबर 2027 से ट्रकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली (एआईएस 162) [साकानि 834(अ), दिनांक 11 नवंबर 2025 के माध्यम से] के अनिवार्य कार्यान्वयन के साथ ब्रेकिंग सिस्टम को उन्नत किया गया है, जो विशेष रूप से मोड़ पर ब्रेक लगाने की स्थिति में स्थिरता प्रदान करते हैं।

iii. 01 अक्टूबर, 2027 से अधिक उन्नत आपातकालीन ब्रेकिंग प्रणाली (एआईएस 162) को अनिवार्य कर दिया गया है, जो चालक के सामने आने वाली बाधाओं के कारण दुर्घटना से बचने या दुर्घटना के प्रभाव को कम करने के लिए आपातकालीन स्थितियों में कार्य करने में विफलता की स्थिति में स्वचालित ब्रेक लगाता है।

iv. उन्नत चालक सहायता प्रौद्योगिकियां जैसे ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली (एआईएस 186) और मूविंग ऑफ सूचना प्रणाली (एआईएस 187) 01 जनवरी 2028 से अनिवार्य कर दी गई हैं, जिससे असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी।

v. ड्राइवर के सो जाने और इस प्रकार वाहन के वांछित गति खोने की खतरनाक स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए, चालक की झपकी पहचान और चेतावनी प्रणाली (ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्शन एंड अलर्ट सिस्टम) (एआईएस 184) जैसे सिस्टम 01 जनवरी 2028 से अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त,

लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली (एआईएस 188) को 01 जनवरी 2028 से अनिवार्य कर दिया गया है, जो वाहन के अपेक्षित मार्ग से अलग (डेविएट) होने की स्थिति में चेतावनी देता है।

vi. इसके अतिरिक्त, ड्राइवर की थकान को कम करने के लिए, 1 अक्टूबर, 2025 से सीएमवीआर के तहत ट्रक केबिन में ए.सी. का अनिवार्य फिटमेंट अनिवार्य कर दिया गया है।

माल वाहन को ट्रक केबिन संरचनात्मक शक्ति परीक्षण से गुजरना आवश्यक है।

01 अप्रैल 2020 को और उसके बाद निर्मित माल वाहन, ट्रेलरों के लिए पुलर ट्रैक्टरों को छोड़कर, एआईएस-145:2017 की आवश्यकताओं के अनुरूप रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम से लैस होने की आवश्यकता है। ट्रकों को एआईएस: 090-2005 की आवश्यकताओं के अनुसार बॉडी की चौड़ाई में एक परावर्तक टेप लगाने की आवश्यकता है।

ट्रकों को क्रमशः आईएस: 14812 और आईएस: 14862 के अनुसार रियर अंडर रन प्रोटेक्टिव डिवाइस और एक लेटरल अंडर रन प्रोटेक्टिव डिवाइस से लैस किया जाना चाहिए।

(ख) सरकार देश भर में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना के लिए एक योजना चलाती है। हाल ही में संशोधित योजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता और सुव्यवस्थित पात्रता मानदंड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण-परीक्षण क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआई) के साथ मिलकर स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं।

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैं-

आईडीटीआर - रु.17.25 करोड़

आरडीटीसी - रु.5.50 करोड़

डीटीसी - रु.2.50 करोड़

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी जनादेश के अनुसार, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 को का.आ. 2015 (अ) दिनांकित 05.05.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसके कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रवाह, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण देने वाले व्यापक दिशानिर्देश, और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का. आ. 2489 (अ) दिनांकित 04.06.2025 के माध्यम से जारी की गई हैं। योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं: -

(i) दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा के भीतर, प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा। यह उपचार उन पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा जो मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में शामिल हैं।

(ii) प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को अघातक मामलों में 24 घंटे तक और घातक मामलों में पुलिस प्रतिक्रिया के अधीन विनिर्दिष्ट अस्पतालों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा।

(iii) इस वैधानिक योजना की किसी भी अन्य केंद्रीय / राज्य स्तरीय योजनाओं पर प्राथमिकता रहेगी।

(iv) इस योजना को दो मौजूदा तकनीकी प्लेटफार्मों: पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले ई-डीएआर (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) और अस्पतालों द्वारा उपचार, दावा प्रस्तुत करने और भुगतान की प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) का टीएमएस 2.0 (लेनदेन प्रबंधन प्रणाली) के एकीकरण के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया है। अस्पतालों को प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि (एमवीएएफ) के माध्यम से जो उन मामलों के लिए सामान्य बीमा कंपनियों के अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित है जहां उल्लंघन करने वाले मोटर वाहन का बीमा किया गया है और अन्य-गैर-बीमाकृत मामलों के लिए बजटीय सहायता के माध्यम से की जा रही है।

*****